NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDU, Delhi, 29.4.2024
Page No. 1, Size:(6.23)cms X (15.73)cms.

NHRC accreditation status faces review in Geneva this week

Critical assessment

The Sub-Committee on Accreditation of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) made the following observations on the NHRC in March 2023:

- The NHRC has failed to create conditions required to be "able to operate independent of government interference"
- Involvement of police officers in the investigative process amounts to a "conflict of interest"
- The committee lacked any members representing India's largest minority religions

Suhasini Haidar
Ishita Mishra
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) is preparing to defend the Union government's human rights processes at a meeting in Geneva this week, where a decision on whether India's human rights body will retain its "A status" is expected to be made.

The NHRC's ratings were put on hold in 2023 after concerns were raised on its composition procedure, the presence of police personnel in human rights investigations, and the lack of gender and minority representation in the committee.

The decision over whether the NHRC is given an A or B rating will affect its ability to vote at the UN Human Rights Council and some UNGA bodies.

The meeting of the Sub-Committee on Accreditation (SCA) of the UN-recognised Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) worldwide will be held on May 1, official sources told *The Hindu*, as part of the five-year peer review for each member of the 114-member alliance.

While the NHRC Chairperson, retired Supreme Court judge Justice Arun Kumar Mishra, had travelled to Geneva last year for the GANHRI SCA meeting on India, this year, the NHRC is expected to attend the review meeting on Wednesday online.

CONTINUED ON
» PAGE 10

HINDU, Delhi, 29.4.2024
Page No. 1, Size:(6.23)cms X (15.73)cms.

NHRC accreditation status faces review test

The Ministry of External Affairs (MEA) is understood to have reached out to various countries involved in the review process to make its case through diplomatic channels.

This is the second time the Modi government is facing a possible listing downgrade. Since being accredited in 1999, India had retained its A ranking in 2006 and 2011, while its status was deferred in 2016 and restored after a year. According to a six-point submission by the SCA in March 2023, the NHRC has failed to create conditions required to be "able to operate independent of government interference".

In the submission, the committee had slammed India for the involvement of police officers in its investigative process, calling it a "conflict of interest".

In its response, the NHRC had said that the presence of government officials, including the Secretary-General and CEO, NHRC – former Gujarat-cadre IAS officer Bharat Lal, adds to the "effectiveness" of the body.

The SCA also cited the lack of "pluralism" and "gender representation". The SCA had also pointed out that the composition of the committee should reflect the "diversity of the society" it operated in, indicating the lack of any member representing India's largest minority religions. In addition, local civil society activists have pointed out that most members are politically affiliated with the ruling party, with five of the 10 members belonging to the BJP or RSS.

When asked about Wednesday's meeting, the sources said although the government is confident of having its A status restored, it was not focused on "external certifications" of India's human rights record.

In a letter to GANHRI dated March 26, 2024, nine human rights groups, including Amnesty International, Human Rights Watch and CIVICUS wrote a joint letter to the international grouping raising concerns about "increasing restrictions" on civil society and "discrimination against minorities ahead of the country's General Elections". They also cited various development and human rights indices that have downgraded India's ratings in the past few years, and UN Human Rights Council reports that the government has rejected.

"We strongly urge GANHRI-SCA to amend the current 'A' rating of the NHRCI to accurately reflect its failure to comply with the Paris Principles and address the deteriorating human rights situation in India," the letter said.

Geneva-based UN-related body to review India's human rights accreditation status this week

https://www.thehindu.com/news/national/geneva-based-un-related-body-to-review-indias-human-rights-accreditation-status-this-week/article68117894.ece

India's processes under scanner after GANHRI deferred the country's rating in 2023; criticism included lack of pluralism, appointing police officials, ruling party members to NHRC

The National Human Rights Commission (NHRC) is preparing to defend the government's human rights processes at a meeting in Geneva this week, where a decision on whether India's human rights body will retain its "A status" is expected to be made. The NHRC's ratings were put on hold in 2023 over concerns on its composition procedure, the presence of police personnel in human rights investigations, and the lack of gender and minority representation, and the decision over whether the NHRC is given an A rating or a B rating would affect its ability to vote at the UN Human Rights Council and some UNGA bodies.

The meeting of the Sub-Committee on Accreditation (SCA) of the UN-recognised Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) worldwide will be held on May 1, official sources told The Hindu, as part of the five-year peer review for each member of the 114-member alliance. While NHRC Chairperson, retired Supreme Court judge Justice Arun Kumar Mishra had travelled to Geneva last year for the GANHRI SCA meeting on India, this year, the NHRC is expected to attend the review meeting on Wednesday online. The Ministry of External Affairs (MEA) is understood to have reached out to various countries involved in the review process to make its case through diplomatic channels.

This is the second time the Modi government is facing a possible listing downgrade. Since being accredited in 1999, India had retained its A ranking in 2006 and 2011, while its status was deferred in 2016 and restored after a year. According to a six-point submission by the SCA in March 2023, the NHRC has failed to create conditions required to be "able to operate independent of government interference". In the submission, the committee had slammed India for the involvement of police officers in its investigative process, calling it a "conflict of interest".

NHRC's claim

In its response, the NHRC had said that the presence of government officials, including Secretary-General and CEO, NHRC, former Gujarat-cadre IAS officer Bharat Lal, adds to the "effectiveness" of the body. At present, of the two individual members of the NHRC, one member Rajiv Jain, is an IPS officer who was Director of the Intelligence Bureau, while the Director-General of Investigation is, former Special Director, CBI, Ajay Bhatnagar. The SCA also cited the lack of "pluralism" and "gender representation," given the NHRC had only one woman in its top body, an institutional "ex-officio"

representative of the National Commission for Women. In December 2023, the NHRC appointed another woman, Vijaya Bharathi Sayani.

While the Chairperson of the National Commission for Minorities Iqbal Singh Lalpura is another ex-officio member, the SCA had also pointed out that the composition of the committee should reflect the “diversity of the society” it operated in, indicating the lack of any member representing India’s largest minority religions. In addition, local civil society activists have pointed out that most members are politically affiliated to the ruling party, with five of the 10 members belonging to the BJP or RSS. They include Chairman of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) Kishor Makwana, who was spokesperson of the BJP in Gujarat; Chairperson of the National Commission for Scheduled Tribes Antar Sing Arya, who was a BJP MLA from Madhya Pradesh; Chairperson, National Commission for Backward Classes and former BJP MP Hansraj Ahir; and Priyank Kanoongo, Chairperson, National Commission for Protection of Child Rights, who has been a member of the BJP and RSS.

Officials in the body rejected the charge, pointing out that Mr. Jain “qualifies as a minority”, as he belongs to the Jain community, while all members are chosen through India’s legislative and constitutional processes, which also involve selection by leaders of the opposition.

The MEA and the NHRC declined to formally comment on India’s accreditation status at GANHRI, a body of 120 members, of which 88 have “A” status accreditation, while 32 have “B” status”. The SCA has also recommended for the removal of accreditation for Afghanistan, Myanmar, Niger and Russia given developments in those countries. When asked about Wednesday’s meeting, the sources said although the government is confident of having its A status restored, it was not focused on “external certifications” of India’s human rights record. They also cited the “undue influence” of international civil society organisations that have been critical of India since 2014. In a letter to GANHRI dated March 26, 2024, nine human rights groups, including Amnesty International, Human Rights Watch and CIVICUS wrote a joint letter to the international grouping raising concerns about “increasing restrictions” on civil society and “discrimination against minorities ahead of the country’s General Elections”. They also cited various development and human rights indices that have downgraded India’s ratings in the past few years, and UN Human Rights Council reports that the government has rejected.

“We strongly urge GANHRI-SCA to amend the current ‘A’ rating of the NHRCI to accurately reflect its failure to comply with the Paris Principles and address the deteriorating human rights situation in India,” the letter said.

Last week, the MEA had also reacted sharply to the U.S. State department’s latest global report that spoke of “significant” human rights concerns in India, calling the report “biased” and reflecting a “poor understanding of India”. “We attach no value to it and urge you to do the same,” MEA spokesperson Randhir Jaiswal had said.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

IN SAMACHAR, Online, 29.4.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC ने 'पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता तक पहुंच' विषय पर एक खुली चर्चा का आयोजन किया

https://insamachar.com/nhrc-organizes-an-open-discussion-on-access-to-legal-aid-for-victims/

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने 'पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता तक पहुंच' विषय पर एक खुली चर्चा का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने की। बैठक में सदस्य राजीव जैन और विजया भारती सयानी; महासचिव भरत लाल; महानिदेशक (अन्वेषण) अजय भटनागर; रजिस्ट्रार (विधि) सुरजीत डे और संयुक्त सचिव देवेन्द्र कुमार निम सहित आयोग और सरकार के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसमें विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, स्वायत्त निकायों, लीगल प्रैक्टिशनरर्स, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), शैक्षणिक संस्थानों और शोध छात्रों ने भी भाग लिया, जिन्होंने पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता पहुंच से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा में योगदान दिया। चर्चा के तीन तकनीकी सत्रों में शामिल हैं:

i. पुलिस स्टेशन स्तर पर कानूनी सहायता – पुलिस स्टेशनों पर कानूनी सहायता प्राप्त करने में आरोपियों, पीड़ितों और उनके परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।

ii. भारत में पीड़ित मुआवजा प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए पीड़ित के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और उनका समाधान करना – कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत "पीड़ित" शब्द की परिभाषा को समझकर पीड़ित मुआवजा योजनाओं के संतोषजनक अनुदान में मुद्दों को समझना।

iii. पीड़ितों तक कानूनी सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने में गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका – सभी के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में गैर सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों की केंद्रीय भूमिका को समझना।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 39ए, 21 और 22 का उल्लेख करते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण समान न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कानूनी सहायता प्रणाली न केवल पीड़ितों के लिए बल्कि प्रत्येक वादी के लिए है और वह भी एक सक्षम वकील द्वारा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा कानूनी प्रावधानों और पहलों के बावजूद, कुछ समस्याएं बनी हुई हैं जैसे दूर-दराज के इलाकों में आरोपियों को जेल में बंद कर दिया गया है और उन्हें कानूनी सहायता कार्यक्रमों के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए, विशेष रूप से जेल अधिकारियों की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उचित है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में जागरूकता फैलाने के लिए वकीलों द्वारा व्याख्यान आयोजित किये जाने चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कॉलेजों में कानूनी सहायता क्लीनिक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ज्ञान का विस्तार करना और पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने पर थोड़ा और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

एनएचआरसी के सदस्य राजीव जैन ने उन मुद्दों पर प्रकाश डाला कि कानूनी सहायता पर 2018 में जारी किए गए एनएएलएसए दिशानिर्देशों को आगे नहीं बढ़ाया गया। ऐसे मामलों में भी पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी होती है, जिनमें समय सीमा भी निर्धारित होती है। उन्होंने एनएएलएसए या न्याय विभाग द्वारा बनाए जाने वाले मुआवजे सहायता पर एक केंद्रीय पोर्टल स्थापित करने की भी सिफारिश की।

इससे पहले, महासचिव भरत लाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने के महत्व को उजागर करना महत्वपूर्ण है, खासकर एफआईआर पंजीकरण चरण के दौरान, जहां एनएएलएसए योजना 2018 और सीआरपीसी के अनुच्छेद 357 ए की पुलिस समझ महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, कई पीड़ितों में शिक्षा और कानूनी जागरूकता की कमी है, जिससे भाषा की बाधाओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी आउटरीच रणनीतियों की आवश्यकता होती है कि वे कानूनी सहायता की उपलब्धता को समझें। एनएएलएसए को जागरूकता बढ़ाने और न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पुलिस स्टेशनों और सीबीआई जैसी एजेंसियों के बीच मामले की रिपोर्टिंग में पर्याप्त अंतर को संबोधित करना आवश्यक है। इसमें कम शिक्षित व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों की मानसिकता को बदलना और मुआवजा प्राप्त करने में वास्तविक पीड़ितों की सहायता करने के लिए उन्हें संवेदनशील बनाना शामिल है।

संयुक्त सचिव देवेन्द्र कुमार निम ने उन्हें भारत के संवैधानिक प्रावधानों और पहलों के बारे में जानकारी दी, जिसका उद्देश्य समाज के गरीबों और वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और पीड़ितों के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है।

चर्चा में कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्याय विभाग के सहयोग से एनएएलएसए द्वारा उठाए गए कदम शामिल थे। एनएएलएसए ने समाज के गरीब वर्ग को कानूनी सहायता प्रदान करने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग, एसिड हमलों, तस्करी आदि के पीड़ितों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एनएएलएसए द्वारा कानूनी सहायता प्रदान करने की मौजूदा प्रणाली की उपस्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने पीड़ितों तक कानूनी सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित वकीलों, कानूनी सहायता क्लीनिकों और प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अंडर-ट्रायल समीक्षा समिति की उपस्थिति पर भी प्रकाश डाला।

विभिन्न अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों ने किशोर न्याय अधिनियम, एसिड अटैक सर्वाइवर्स, रेप सर्वाइवर्स, सिलिकोसिस मुआवजा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पीड़ित मुआवजा योजनाओं के मुद्दों को संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली भर के विभिन्न जिलों में दिए गए मुआवजे के अंतर जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मजदूरों को मुआवजे के प्रावधान के बारे में जानकारी नहीं है और संबंधित डॉक्टरों द्वारा भी उन्हें सूचित नहीं किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार के मुआवजे के लिए उत्तरदायी हैं। कानूनी सहायता की मदद सिर्फ पुलिस स्टेशनों तक ही नहीं बल्कि अस्पतालों तक भी पहुंचाई जानी चाहिए। निजी अस्पतालों को एसिड अटैक पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए।

इसके अलावा, इस बात पर भी जोर दिया गया है कि प्रो-बोनो वकीलों के नेटवर्क को विकसित करने की आवश्यकता है। पीड़ितों को सहायता प्रदान करने में गैर सरकारी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए, उन्हें क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों के पीड़ितों को कानूनी

सहायता प्राप्त करने में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे बुनियादी सुविधाओं, परिवहन आदि की कमी के कारण होती हैं।

विश्वविद्यालयों में कानूनी सहायता क्लीनिकों की भूमिका को समझाते हुए चर्चा आगे जारी रही। महिलाओं और बच्चों के लिए किस प्रकार के मामले प्राप्त होते हैं, इसके लिए एक विशिष्ट अधिदेश विकसित करने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार, यह जनसांख्यिकीय विशिष्ट समुदायों को कानूनी सहायता देने में सहायक होगा। विद्यार्थियों को सोसायटी में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति प्रदान करेगा। यह भी आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में कानूनी सहायता पर एक अनिवार्य पेपर हो। इसके अतिरिक्त, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कॉलेजों में कानूनी सहायता क्लीनिकों की निगरानी के लिए भी यह पहल करनी चाहिए। एनएचआरसी, लॉ स्कूल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया विद्यार्थियों के काम की गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं और उसके आधार पर लॉ स्कूल की मान्यता विभाजित की जा सकती है।

विश्वविद्यालयों में कानूनी सहायता क्लीनिकों की भूमिका को समझाते हुए चर्चा आगे जारी रही। विद्यार्थियों को सोसायटी में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति प्रदान करेगा। यह भी आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में कानूनी सहायता पर एक अनिवार्य पेपर हो। कॉलेजों में कानूनी सहायता क्लीनिकों की निगरानी के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी यह पहल करनी चाहिए।

SINGRAULI MIRROR, Online, 29.4.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Sidhi News: राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मानीटर की बैठक सम्पन्न

https://singraulimirror.in/article/sidhi-news-meeting-of-special-monitor-of-national-human-rights-commission-concluded

Sidhi News: राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के चीफ माॅनीटर बालकृष्ण गोयल की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कर मानवाधिकार, बाल संरक्षण, पोस्को एक्ट, जेजे एक्ट, वृद्ध जनों के अधिकार, जेल में निरूद्ध कैदियों के अधिकारों आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी, पुलि स अधीक्षक डाॅ. रवीन्द्र वर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।

चीफ माॅ नीटर श्री गोयल ने सर्वप्रथम राष्ट्री य मानवाधि कार आयोग के गठन तथा कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होने कहा कि राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन को किसी भी स्तर पर बर्दास्त नहीं करता है। हम सभी को अपने कार्य क्षेत्र में मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में सचेत होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। कई बार लोग जानकारी के अभाव में शोषण और उत्पीड़न का शिकार होते हैं। जन जागरूकता से शोषण एवं उत्पीड़न से उनका बचाव किया जा सकता है। उन्होने बताया कि पीड़ित व्यक्ति राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आयोग शिकायतों को संज्ञान में लेकर तत्परता से कार्यवाही करती है। श्री गोयल ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर एक टीम के रूप में सकारात्मक वातावरण में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होने पोस्को एक्ट, जेजे एक्ट, लैंगिलैं क उत्पीड़न, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार, भिक्षावृत्ति आदि के विषय में जन चेतना लाने के निर्देश दिए हैं। विद्यालयों में गुडटच, बैडटच के विषय में बच्चों को समझाइस देने की बात कही हैं। उन्होने शासकीय संस्थाओं,ओं विद्यालयों,यों छात्रावासों,सों चिकित्सालयों,यों बाल सुधार गृह, जेल, वृद्धाआश्रम आदि के संचालन मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील रहकर करने के लिए निर्देशित किया। चीफ माॅनीटर ने बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए जिले की टीम को शुभकामनाएं भी दी तथा सभी विभागों को नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार खेलो एमपी यूथ गेम्स में जिले के प्रदर्शन की सराहना भी की।

कलेक्टर श्री सोमवंशी ने कहा कि मानव अधिकार हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है। यह हमें गरिमामय जीवन सीने का अधिकार देता है। मानव अधिकारों के संरक्षण के रूप में शासकीय सेवकों तथा संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। पीड़ित के अधिकारों की रक्षा के लिए दोषियों को भी विहित प्रावधानों का पालन करते हुए सजा दी जाती है। उनके मानवाधिकार को भी ध्यान में रखा जाता है। कलेक्टर ने पूरी टीम की ओर से आश्वस्त किया है कि सभी अधिकारी मानव अधिकारों के प्रति सजग रहकर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, जेल अधीक्षक रविशंकर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविन्द श्रीवास्तव, एसडीएम प्रिया पाठक, एसडीओपी गायत्री तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी आर सी त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ आईजे गुप्ता, सहायक आयुक्त डाॅ. डी.के. द्विवेदी, सहायक संचालक अवधेश सिंह, एपीसी रमसा डाॅ. सुजीत मिश्रा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।